अति.न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नरेश बुनकर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 05 / 2024

दायर दिनांकः 11.03.2024

निर्णय दिनांक 27.02.2026

—: अनवान :—

श्रीमती बदामी देवी पुत्री पोखर जाति रेगर पत्नी केलाश चंद्र रेगर निवासी देवगढ तह. देवगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी मोही तह. राजसमन्द जिला राजसमन्द

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति गुलाबी बेवा पोखर जी जाति रेगर निवासी देवगढ तह. देवगढ जिला राजसमंद
2. श्री गिरधारी पिता पोखर जी जाति रेगर निवासी देवगढ तह.देवगढ जिला राजसमंद
3. श्रीमति रूपी पत्नी किशनलाल जी जाति सालवी निवासी देवगढ तह.देवगढ़ जिला राजसमंद
4. श्री केलाशचन्द्र पिता कानुराम जी जाति गवारिया निवासी आसीन्द जिला भीलवाडा
5. श्री राजकमल पिता ताराचन्द्र जी जाति रेगर निवासी हरराजपुरा तह.मसुदा जिला अजमेर
6. श्री नीरज कुमार पिता रतनलाल जी जाति खटीक निवासी कारोही, गंगापुर जिला भीलवाडा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3264 विरासत दिनांक 14.09.2003 व नामान्तरकरण संख्या 3252 विरासत दिनांक 07.05.2003 ग्राम देवगढ तह. देवगढ जिला राजसमन्द व पश्चात्वृति खोले गये नामान्तकरण संख्या 3370,4232,5455,व 5504 फैसल द्वारा तहसीलदार देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमंद

उपस्थितः—

1— श्री प्रजीत तिवारी, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत रेस्पो.सं. 3 व 6 उपस्थित।

3 —रेस्पो. संख्या 1,2,4 व 5 अनुपस्थित (एक पक्षीय कार्यवाही)

4— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7।

P.T.O

:: **निर्णय** ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 3264 विरासत दिनांक 14.09.2003 व नामान्तरण संख्या 3252 विरासत दिनांक 07.05.2003 ग्राम देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द व पश्चात्वृति खोले गये नामान्तरण संख्या 3370,4232,5455 व 5504 द्वारा तहसीलदार देवगढ़ के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री पोखर पिता गणेश जाति रेगर निवासी देवगढ जिला राजसमन्द की मृत्यु दिनांक 13.02.2000 को हो गयी थी। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट के वारिसान इस प्रकार है :–

पोखर पिता गणेश रेगर फोत

|

गुलाबी बेवा (पत्नी)	गिरधारी (पुत्र)	बादामी (पुत्री)

अपीलान्ट की पुश्तेनी खातेदारी कृषि भुमि व चाह ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द राज० में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा स० 1748 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा स० 1750 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा स० 1752 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा स० 1753 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै मु आ चा, खसरा स0 1754 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर तथा खसरा स० 1757 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै मु आ चा, खसरा स० 1758 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा स० 1755 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा स० 1751 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि है। उक्त कुलिया भुमि मे प्रार्थीया / अपीलान्ट के मृतक पिता श्री पोखर पिता गणेश जी जाति रेगर निवासी देवगढ जिला राजसमन्द राज० का 1 / 4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। मेरे पिता के हिस्से मे से मेरा हिस्सा 1 / 3 बनता है। अपीलान्ट के पिता स्व० श्री पोखर जी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का देवगढ ने राजस्व रिकार्ड मे विरासत का नामान्तरण भरकर सक्षम अधिकारी के समक्ष वास्ते खुलवाये जाने वारिसो का नामान्तरण तहसीलदार साहब देवगढ को प्रस्तुत किया। जिसमे पटवारी हल्का ने उक्त भुमि में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही किया। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के पिता की वारिसो की पुर्ण जांच नही की एवं मनमकसुद तरिके से अपीलान्ट को पुश्तेनी हक हककु से मेहरूम कर दिया। जिससे अपीलान्ट व्यथित है तथा अपीलान्ट की माता व भाई विपक्षी स० 1 व 2 ने भी अपीलान्ट का नाम स्व० पोखर जी

P.T.O

की आराजियात मे दर्ज नही करवाया। अपीलान्ट के स्व० पिता पोखर जी का नामान्तरण स० 3264 विरासत से दिनाक 14/09/2003 व नामान्तरण स० 3252 विरासत से दिनाक 07/05/2003 को श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया। उक्त निर्णय काबिल निरस्त है। उक्त नामान्तरण बाबत् अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई हेतु सुचना नही दी गई। जिससे अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण बाबत् किसी प्रकार की जानकारी नही हुई। अपीलान्ट अपने ससुराल गाव मोही में रहती थी तथा अपीलान्ट की पेतृक भुमि पर खेतीबाडी हेतु देवगढ मे आती जाती रहती थी एवं भुमि की देखरेख सार संभाल करती रहती थी किन्तु अपीलान्ट पढी लिखी नही थी एव पिता की मृत्यु हो जाने से भी अत्यधिक व्यथित थी तथा राजस्व रिकार्ड की भी जानकारी नही थी तथा आज तक मुझे राजस्व रिकार्ड मे मेरा नाम दर्ज नही होने की जानकारी नही थी तथा पहली बार दिनाक 07/02/2024 को अपने नीजी काम हेतु जब राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गयी तब पता चला कि राजस्व रिकार्ड मे मुझ अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है। अपीलान्ट अनपढ है व घरेलु महिला है। अनपढ होने के कारण अपने पिता स्व० पोखर जी की आराजियात मे अपना नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होने की जानकारी नही थी। उक्त समस्त परिस्थितिवस आज दिनाक 19/02/2024 को अपनी अपील नामान्तरण न्यायालय में पेश कर रही है। अपीलान्ट ने जानबुझकर कोई गलती नहीं की है। विपक्षी स० 1 व 2 ने विपक्षी स० 3 रूपी को उक्त आराजियात में से 1/8 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 13/04/2005 को बेचान कर दी। जिसके नामान्तरण स० 3370 है तथा दिनाक 07/06/2012 को विपक्षी स0 1 व 2 ने उक्त भुमि में से 1/8 हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के विपक्षी स० 3 को बेचान कर दी। जिसके नामान्तरण स० 4232 है। इसलिये विपक्षी स० 3 रूपी को उक्त अपील मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी स० 3 रूपी ने उक्त भुमि मे से अपने हिस्से 1/4 मे से 1/8 हिस्से को विपक्षी स० 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 12/07/2012 को बेचान कर दी। जिसके नामान्तरण स० 5455 है। इसलिये विपक्षी स० 4 केलाशचन्द्र को उक्त अपील मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विपक्षी स० 4 केलाशचन्द्र ने उक्त भुमि मे से अपने कुलिया हिस्से 1/8 को विपक्षी स० 5 व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनाक 21/08/2019 को दोनो को 1/2–1/2 हिस्से अनुसार बेचान कर दी। जिसके नामान्तरण स० 5504 है। इसलिये विपक्षी स० 5 व 6 राजकमल व नीरज को उक्त अपील मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ द्वारा पारित उक्त नामान्तरण स० 3264 विरासत से दिनाक 14/9/2003 व नामान्तरण स० 3252 विरासत दिनाक 07/05/2003 की अपील सक्षम न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय

P.T.O

राजसमन्द में प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरण स० 3264 विरासत दिनाक 14/9/2003 व नामान्तरण स० 3252 विरासत दिनाक 07/05/2003 को अपास्त करा अन्य वारिसान के साथ अपने हिस्से की पेदायशी हक अनुसार 1/3 हिस्से का नामान्तरण प्रार्थीया/अपीलान्ट के पिता पोखर जी के हिस्से की भुमि मे माफिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया/अपीलान्ट के हक मे पारित करवाते हुये पोखर जी की विरासत मे 1/3 हिस्सा भुमि प्रार्थीया/अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश एवं निर्णय पारित करने हेतु निवेदन करती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार देवगढ द्वारा पारित किये गये नामान्तरण स० 3264 विरासत दिनाक 14/09/2003 व नामान्तरण स० 3252 विरासत दिनाक 07/05/2003 के निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीया /अपीलान्ट का नाम मृतक पिता पोखर पिता गणेश जी रेगर की आराजियात मे विरासत में 1/3 हिस्से की अधिकारीणी के रूप मे प्रार्थीया / अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे तथा जिन पक्षकारान को भुमि विक्रय कर दी है। उसमे प्रार्थीया/अपीलान्ट के हिस्से तक का नामान्तरण केता के नाम दर्ज भुमि में से हटाया जावे व पश्चात्वृति खोले गये नामान्तकरण स० 3370, 4232, 5455 व 5504 को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 06 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत द्वारा वकालातनामा पेश कर उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4 व 5 बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलांट की लिखित बहस इस प्रकार है कि अपीलार्थीया बदामी रेगर पोखर रेगर की जायन्दा पुत्री हैं। विरासत से प्राप्त अपीलान्ट के पिता को कृषि जायदाद ग्राम देवगढ, पटवार हल्का देवगढ, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द राजस्थान जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1748 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 1752 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 1750 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1753 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै. मु. आ चा खसरा संख्या 1754 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 5, रकबा रकबा 0.5500 हैक्टेयर

तथा खसरा संख्या 1757 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. आ चा, खसरा संख्या 1758 रकबा 0.2900 हैक्टेयर कुल किता 2. कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1755 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1751 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि हैं। उक्त कुलिया भूमि में अपीलान्ट के मृतक पिता श्री पोखर पिता गणेश जी रेगर निवासी देवगढ, जिला राजसमन्द का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। अपीलार्थीया के पिता के हिस्से में अपीलार्थी का हिस्सा 1/3 बनता हैं। उक्त हिस्सा जायन्दा पुत्री होने के नाते अपीलार्थी के पिता पोखर की मृत्यु हो जाने के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 मिताक्षरा सहदायिक सम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है जिसमें 2005 को संशोधन के बाद पुत्रियो को पुत्रों के समान अधिकार दिये गये हैं। संशोधन से पहले मुल धारा केवल पुरूष अधिकारी को ही सहदायिक मानती थी जो जन्म से ही सम्पत्ति के सहमालिक बन जाते थे। संशोधन के बाद पुत्री को भी जन्म से ही सहदायिक के रूप में समान अधिकार मिलते हैं। अपीलार्थीया हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम1956 की धारा 6 के संशोधन 2005 के पश्चात पूर्ण रूप से पैतृक जायदाद में समान हित, अधिकार, स्वत्व, स्वामित्व प्राप्त करने के अधिकारिणीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियो को समान अधिकार प्रदान कर दिया गया है। उक्त मामले में अपीलार्थीया को जन्म से पैतृक जायदाद में समान हक, स्वत्व, स्वामित्व प्राप्त है। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 48 प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न समयों पर अंतरण द्वारा एक ही स्थावर सम्पत्ति में या उस पर अधिकार सृष्ट किया जाना तात्पर्थित हैं और ऐसे अधिकार सब अपने पुरे विस्तार तक अपने साथ अस्तित्वयुक्त या प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। वहा पश्चात सृष्ट हर एक अधिकार को पूर्वतर अंतरितियों को बाध्य करने वाली कोई विशेष सविदा या आरक्षण न हो तो पूर्व सृष्ट अधिकारो के अध्यधीन रहेगा। उक्त आधार पर न्यायालय को अपीलार्थिया का विरासत से प्राप्त अधिकार का हनन करने का अधिकार नहीं हैं। म्युटेशन खोलने वाले अधिकारी तहसीलदार देवगढ द्वारा अपीलार्थी का ध्यान नहीं रखा गया हैं एवं उसके सिविल अधिकारो के संबंध में कानुनी त्रुटि की है। तहसीलदार देवगढ़ के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना जांच किये सही मान स्वीकार कर लिया गया एवं कानुनी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया एवं उस समय विचार किया जाना आवश्यक भी नहीं था क्योंकि उक्त म्युटेशन संख्या 3264 दिनांक 14.09.2003 एवं म्युटेशन संख्या 3252 दिनांक 07.05.2003 जारी किया गया है। उक्त दिनांक तक उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 में संशोधन नहीं किया गया था। इस कारण तत्कालीन म्युटेशन अधिकारीगण में अपीलार्थीया को विरासत से जायदाद में स्वामित्व प्रदान नहीं किया किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय विनिता शना बनाम

P.T.O

राकेश शर्मा के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान कर दिया गया है। उक्त मामले में अपीलार्थीया को जन्म से पैतृक जायदाद में समान हक, स्वत्व, स्वामित्व प्राप्त हैं। इस कारण उक्त मामले में जन्म से हीं एवं म्युटेशन खोलते समय अपीलार्थीया का उक्त पैतृक जायदाद में समान अधिकार, हक, स्वत्व, स्वामित्व सन्निहित हैं। इस कारण चाहे जायदाच कितनी भी जगह विकय क्यु न विकय हो गई हो। अपीलार्थी का पैतृक जायदाद में हक, स्वत्व, स्वामित्व के सिविल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार की कानुनी त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है किन्तु किसी त्रुटि को न सुधार कर निरन्तर जारी रखना किसी भी लिहाज से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है। न्यायालय का दायित्व है जहां कानुनी रूप से त्रुटि उजागर कर दी जाये तो न्यायालय को तत्काल त्रुटि को समाप्त कर देनी चाहिये। यहां पर स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी के पिता पोखर को जो पैतृक जायदाद हस्तांतरित हुई थी जिसमें अपीलार्थीया का जन्म से ही अन्य वारिसो के समान अधिकार सन्निहित था और यदि अधिकारीगण की लापरवाही एवं त्रुटि के कारण अपीलार्थीया को अपने सिविल व कानुनी अधिकार से वंचित होना पड़ा है तो उसमें अविलम्ब सुधार करते हुए अपीलार्थी की अपील में चाही गई राहत प्रदान कर उसे न्याय प्रदान किया जाना चाहिये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियो को समान अधिकार प्रदान कर दिया गया हैं। उक्त मामले में अपीलार्थीया को जन्म से पैतृक जायदाद में समान हक, स्वत्व, स्वामित्व प्राप्त है। इस आधार पर म्युटेशन संख्या 3264 दिनांक 14. 09.2003 एवं म्युटेशन संख्या 3252 दिनांक 07.05.2003 को निरस्त किया जाय एवं अपीलार्थी का हक अधिकार, स्वामित्व होने पर उसके हिस्से तक समान हिस्सा मानते हुए राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया जाए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 06 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी संख्या 1748, 1750, 1752 और 1758 का अपील दायर किये जाने से पूर्व ही आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो चुका है और उक्त भूमियां वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में नगर पालिका देवगढ के नाम पर दर्ज हो चुकी है, इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां कृषि भूमियां ही नहीं है, असलिये कानूनन वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की अपील पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में सभी खातेदारों के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जिसका नोट जमाबन्दी में लगा हुआ है, जमाबन्दी की नकल पत्रावली में प्रस्तुत है, इसलिये अपीलार्थी की अपील इस आधार पर भी कानूनन पोषणीय नहीं है। उक्त भूमियां वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में नगर पालिका देवगढ़ के नाम पर दर्ज हो चुकी है,

P.T.O

जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल रे. सं. 03 द्वारा प्रस्तुत की गई है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका देवगढ को इस अपील में पक्षकार बनाये बिना यह अपील प्रस्तुत की गयी है, इसलिये अपीलार्थी की अपील इस आधार पर भी कानूनन पोषणीय नहीं है। वर्तमान में आराजी संख्या 1751 नेनीबाई, प्रकाश, बंशीलाल व सुरेशचन्द्र के नाम पर, आराजी संख्या 1754 सोहनलाल के नाम पर, आराजी संख्या 1755 मूलचन्द के नाम पर व आराजी संख्या 1757 तेजमल व रमेशचन्द्र के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल रे. सं. 03 द्वारा प्रस्तुत की गई है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त खातेदारान को इस अपील में पक्षकार बनाये बिना यह अपील प्रस्तुत की गयी है. इसलिये अपीलार्थी की अपील इस आधार पर भी कानूनन काबिल खारिज है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2003 के नामान्तरकरण के विरूद्ध वर्ष 2024 में अपील प्रस्तुत की गयी है और इस अत्यधि विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील मियाद बाधित होने के आधार पर काबिल खारिज है। अपीलार्थी ने स्वयं को पोखर जी की पुत्री होना बताया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है. जिससे अपीलार्थी पोखर जी की पुत्री होना साबित हो और अपीलार्थी पोखर जी की पुत्री है या नहीं यह तथ्य साक्ष्य का विषय है, जो नामान्तरकरण की अपील में तय नहीं किया जा सकता है, यह तथ्य नियमित वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही तय किया जा सकता है, इसलिये अपीलार्थी की अपील इस आधार पर भी कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 3224 व नामान्तरकरण संख्या 3252 के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है कानूनन दो नामान्तरकरण के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय नहीं होती है, इसलिये इस आधार पर भी अपीलार्थी की अपील काबिल खारिज है। माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की अपील सव्यय खारिज करने का आदेश फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पटवारी हल्का द्वारा भरे नामान्तरण पत्र अनुसार विधिसम्मत व नियमानुसार नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा ग्राम देवगढ के नामान्तरण संख्या 3264 दिनांक 14.09.2003 व नामान्तरण संख्या 3252 दिनांक 07.05.2003 व इसके पश्चातवृति खोले गये नामान्तरण संख्या 3370,4232,5455 व 5504 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि मृतक खातेदार श्री पोखर पिता गणेश रेगर निवासी देवगढ

जिला राजसमन्द के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि में उनके निधन के बाद पुत्री अपीलान्ट बदामी देवी का नाम भी प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 3264, 3252 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ–साथ बराबर हक से दर्ज होना चाहिये था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बादामी देवी का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें एवं अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जावें।

उक्त क्रम में ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ के नामान्तरण संख्या 3252 के अवलोकन पर पाया कि पोखर पिता गणेश निवासी देवगढ की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि का विरासत से पटवारी हल्का देवगढ द्वारा दिनांक 05.05.2003 को चैना दल्ला व पोकर के पुत्र गिरधारी लाल व पत्नि गुलाबी बेवा के नाम प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज किया गया उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 07.5.2003 को स्वीकृत किया गया। ग्राम देवगढ पटवार हल्का देवगढ के नामान्तरण संख्या 3264 के अवलोकन पर पाया कि पोखर पिता गणेश निवासी देवगढ की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि का विरासत से पटवारी हल्का देवगढ द्वारा दिनांक 18.08.2003 को पोकर के पुत्र गिरधारी लाल व पत्नि गुलाबी बेवा के नाम प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज किया गया, उक्त नामान्तरण की जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा उक्त नामान्तरण दिनांक 14.09.2003 को स्वीकृत किया गया है। एवं तत्पश्चात विपक्षी संख्या 01 व 02 ने विपक्षी स० 3 रूपी को उक्त आराजियात में से 1/8 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 13/04/2005 को बेचान कर दी जिसके नामान्तरण स० 3370 व 4232 है। विपक्षी स० 3 रूपी ने उक्त भुमि मे से अपने हिस्से 1/4 मे से 1/8 हिस्से को विपक्षी स० 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 12/07/2012 को बेचान कर दी जिसके नामान्तरण स० 5455 है। विपक्षी स० 4 केलाशचन्द्र ने उक्त भुमि मे से अपने कुलिया हिस्से 1/8 को विपक्षी स० 5 व 6 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 21/08/2019 को दोनो को 1/2–1/2 हिस्से अनुसार बेचान कर दी। जिसके नामान्तरण स० 5504 है। उक्त संबंध में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03 की ओर से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में सभी खातेदारो के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जिसका नोट जमाबंदी में लगा हुआ है। अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हक होने के आधार पर विचारणीय अपील प्रस्तुत की गयी है। नामान्तरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार के जटिल विवादक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। इसके लिए पक्षकारों को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए समुचित न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना होता है। राजस्थान भू–अभिलेख (भू–राजस्व) नियमावली

P.T.O

1957 में विहित प्रावधानों अनुसार नामान्तरण की प्रक्रिया एक संक्षिप्त जांच प्रक्रिया है। जिसमें तत्समय उपलब्ध तथ्यों की संक्षिप्त जांच कर रिकॉर्ड में इंद्राज किया जाता है। नामान्तरण की प्रक्रिया राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने का एक माध्यम है तथा नामान्तरण में कब्जा एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। नामान्तरण एक फिसकल प्रोसडिंग है, जिसके माध्यम से उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है अतः रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि अन्तरण कर दिए जाने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

24/02/2026

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

24/02/2026

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
राजसमंद